

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215360
CG-DL-E-13012020-215360

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]
No. 145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का. आ. 155 (अ).—मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 31 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि गोवा राज्य के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज, बैम्बोलिम, गोवा, राज्य स्तरीय नेटवर्किंग संगठन (इसके पश्चात् राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के रूप में संदर्भित) होगा।

2. उक्त राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन गोवा सरकार, जिसका गोवा राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा तथा जो उक्त नेटवर्किंग संगठन के व्यय को भी वहन करेगी, के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा।
3. उपर्युक्त नेटवर्किंग संगठन के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता स्वीकार्य होगी।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं.एस-12011/10/2016-एमजी/एमएस]

मंदीप के. भंडारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2019

S.O. 155(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 31 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, the Central Government hereby specifies that the Goa Medical College Bambolim, Goa shall be State level networking organization (hereinafter referred to as State Organ and Tissue Transplant Organisation) for the State of Goa.

2. The said State Organ and Tissue Transplant Organisation shall function under the overall control and supervision of the Government of Goa having jurisdiction over the State of Goa, which shall also bear the expenditure of the aforesaid networking organisation.

3. Assistance as may be provided under National Organ Transplant Programme (NOTP) implemented by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India for the purposes of the aforesaid networking organisation shall be admissible.

4. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-12011/10/2016-MG/MS]

MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.